आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

28-02-2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित।

इस वाद की कई सुनवाई आयोग में हो चुकी है। मामले की पहली सुनवाई 11.01.2024, तत्पश्चात 30.01.2024 को हुई। सभी सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। पूर्व में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताया था कि शिकायतकर्ता श्रीमती निर्मला देवी का राशन कार्ड सं0–202001142929 (Not eligible based on inclusion or exclusion criteria) के कारण रदद् कर दिया गया है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने ये कहा कि उनका राशन कार्ड कैसे रद्द हुआ है ये उन्हें नहीं पता है और न उन्होंने इस आशय का कोई आवेदन दिया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आज टेलीफोन पर ये जानकारी दी कि उपरोक्त के प्रावधानों के अनुकुल ये पता करना संभव नहीं है कि किस स्तर से रद्द किया गया है ? जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पिताजी मजदूरी करते हैं और उन्हें खाद्यान्न के अभाव में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आयोग ने टेलीफोन पर ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया कि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति का आकलन करायें। यदि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें तत्काल आकस्मिक खाद्यान्न कोष से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय और तत्काल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए विभाग को भी ये आग्रह भेजा जाय कि इनका राशनकार्ड तुरन्त बनाया जाय। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Court 1.docx5